न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 21 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. कालूराम पुत्र भारमलराम, उम्र 54 वर्ष जाति जाट, निवासी सिणधरी, चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर
2.श्रीमान, तहसीलदार सिणधरी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 148 / 2016 बअनवान कालुराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सणिधरी चारणान वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. राज पैरोकार श्री हाजी खां रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 17.07.2019

मामले में सर्वप्रथम अपीलांट अधिवक्ता के आज प्रस्तुत "प्रार्थना–पत्र वास्ते अंतिम बहस से पूर्व मौका रिपोर्ट पर आपति बाबत" पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा पूर्व में एकपक्षीय मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2019 पर आपत्ति विधिक व साम्या के बिंदुओं को उल्लेखित करते हुए पेश की है। वर्तमान में तहसीलदार द्वारा बिना आदेश स्वप्रेरणा से अपना पक्ष मजबूत करने के आशय से एकपक्षीय मौका रिपोर्ट पेश की है जिसे अपीलांट न्याय अनुसार न होने से आपति पेश कर रहा है। न्यायहित में उक्त आवेदन पर आदेश निर्णय पूर्व करावे ताकि अपीलांट इस प्रकरण में लिखित बहस पेश कर सके।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधिवक्ता अपीलांट मामले को लंबा करने की नीयत से प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थना–पत्र लगाये जा रहे हैं। वह सरकारी जमीन हड़पने की नियत से पंचायत भवन बनने में अड़चन पैदा कर रहे हैं। मौका निरीक्षण दल के गठन के पश्चात मौका रिपार्ट बन कर न्यायालय में पेश हुई जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की आपति सारहीन है क्योंकि मौका रिपोर्ट गठित टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर बनाई गई है। जिसमें किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट का आवेदन खारिज फरमाया जावे। मौका रिपोर्ट प्रकरण में निश्चात्मक निर्णय तक पहुंचने में सहायक है जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाकर ग्राह्य किया जावे।

सरकारी पक्ष के पैरोकार राजकीय अभिभाषक को भी सुना गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी को दी गई हिदायत के अनुसरण में नायब तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की एक सक्षम टीम द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर अपीलांट द्वारा आपति करना अनुचित है। रिपोर्ट में अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि से भी अधिक भूमि पर काबिज है। वह उसके खातेदारी रकबे से जिस अधिक भूमि पर अतिक्रमी है वह राजकीय भूमि है। अतिक्रमी की आपति खारिज योग्य है। रिपोर्ट साक्ष्य हेतु ग्रहण की जावे।

मौका रिपोर्ट पर अपीलांट पक्ष की आपति है कि उक्त मौका रिपोर्ट राजस्व रिकॉर्ड में की गई तरमीम अनुसार मौका देखकर तैयार नहीं की गई है, राजस्व कर्मियों की मनमर्जी से तैयार की गई है, बिना अपीलांट की उपस्थिति से एकपक्षीय रूप से तैयार की गई है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 23/5 व अपीलांट के खसरा संख्या 23/6 के मध्य 108 गट्टा भूमि पर्यटन विभाग हेतु आरक्षित की गई है जिसमे से 61 गट्टा भूमि एस.डी.ओ. गुड़ामालानी को भवन हेतु आवंटित की गयी है (एस.डी.ओ. गुड़ामालानी को भवन हेतु आवंटित तथ्य गलत रूप से पेश किया गया है क्योंकि एस.डी.ओ. गुड़ामालानी कार्यालय का मुख्यालय सिणधरी नहीं होकर गुड़ामालानी है।) एवं उसके पश्चात 47 गट्टा भूमि पर्यटन विभाग को छोड़कर शेष 30 गट्टा भूमि सड़क पर छोड़कर ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान को भवन हेतु आवंटित की गई है परन्तु 16 गट्टा भूमि मुझ अपीलांट की भूमि में अवैधानिक तरीके से पंचायत भवन कार्य प्रारंभ किया है जो रिपोर्ट दिनांक 14.10.2017 से स्पष्ट है। इस प्रकार तहसीलदार स्वयं उतरदाता है जिसने अपीलांट की भूमि को सरकारी दर्शाया है। अपीलांट को अतिक्रमी स्थापित करने का प्रयास किया है।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नक्शा का अवलोकन किया। यह रिपोर्ट उतरदाता संख्या 02 तहसीलदार सिणधरी की ओर से न्यायालय में दिनांक 15.04.2019 को उपस्थित पटवारी हल्का को दी गई वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देने की हिदायत के क्रम में प्रस्तुत की गई।

आक्षेपित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि "सर्वे टीम का गठन कर मौजा सिणधरी चारणान के खसरा संया 23/6 कुल रकबा 80.00 बीघा का दिनांक 17.06.2019 को सर्वे करवाया गया। सर्वे टीम की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान का निर्माणाधीन भवन आवंटित भूमि खसरा संख्या 23/88 रकबा 2.10 बीघा में ही होना पाया गया है।"

इस मौका रिपोर्ट में अपीलांट की (08.02 बीघा भूमि सहित) मूल रूप से मूल खसरे की संपूर्ण भूमि 80.00 बीघा का सीमाज्ञान बाकायदा विधिवत रूप से प्रक्रियागत नाप एव मुस्तकिल बिंदुओं के संदर्भ में कराया गया। अपीलांट स्वयं मौके पर उपस्थित रहा। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि "मूल खसर संख्या 23/6 के सभी चारों कोनो DEFG को कायम करने पर वादी कालूराम (अपीलांट) द्वारा ग्राम पंचायत की आवंटित भूमि व पर्यटन विभाग की आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ पाया।

पत्रावली में एक मौका रिपोर्ट (दिनांक 17.01.2017) भी है जो माननीय सिविल न्यायालय के आदेश की अनुपालना में तहरीर है। इसमें भी वरजूदेवी के पति कालूराम (अपीलांट) के नाम रेकर्ड में दर्ज खसरा संख्या 23/6 रकबा 08.02 बीघा भूमि से 05.03 बीघा भूमि अधिक पाई गई जो ग्राम पंचायत व पर्यटन विभाग की भूमि है।"

वादी/कालूराम द्वारा ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान को आवंटित भूमि खसरा संख्या 23/88 रकबा 02.10 बीघा में से 23/6 की मेड़ के सहारे–सहारे चार गट्टा 30 गुणा भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है। ग्राम पंचायत का निर्माणधीन भवन ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि में ही हो रहा है। वादी कालूराम द्वारा अतिक्रमण भूमि खसरा संख्या 23/8 जो पर्यटन विभाग की है का अतिक्रमण भी में दर्ज किया हुआ है।

उभयपक्ष की बहस एवं रिपोर्ट मय नक्शा तथा पूर्व में उपलब्ध रिपोर्टस मय नक्शा के अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष है कि यह रिपोर्ट सक्षम सर्वे टीम द्वारा अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गई है जो मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु अहम एवं सारभूत रूप से ग्रहण योग्य दस्तावेज है। लिहाजा अपीलांट की आपति अस्वीकार कर रिपोर्ट मय नक्शा रिकॉर्ड पर लिया जाता है। पूर्व की एक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि मौका एवं अभिलेख पर तरमीम में कुछ अंतर है। व्यावहारिक रूप से मौका पर खाली उपलब्ध भूमि का ही आवंटन किया गया है। उसमें से ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान को भी भूमि का आवंटन हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत भवन निर्माण उसे आवंटित भूमि में ही हो रहा है। अपीलांट कालूराम की भूमि संलग्न नक्शें में DEFG मूल रूप से पूरी हो जाती है। ग्राम पंचायत भवन एवं

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कालूराम की भूमि के मध्य दर्शित भूमि पर कालूराम का पुनः अतिक्रमण पाया गया है जो पूववर्ती रिपोर्टों की पुष्टि करता है।

लिहाजा अपीलांट का आवेदन खारिज कर इस पर निर्णय सुनया गया।

तत्पश्चात अपीलांट वकील द्वारा लिखित बहस न्यायालय समय तक पेश नहीं की इसलिए अपील में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट खसरा संख्या 23/6 का रिकोडेर्ड खातेदार है एवं अपीलांट को अपनी जो त का पूर्ण संरक्षण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 23/8 के पूर्वी सेढ़े पर सेढ़ासेढ स्थित है इसलिए उतरदाता संख्या 01 के पक्ष में किया गया आवंटन खसरा संख्या 23/8 में अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 23/6 के सेढे पर किया गया है। किन्तु उतरदातागण द्वारा ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य राजस्व नक्शे में अंकित तरमीम के अनुसार खसरा संख्या 23/88 की भूमि पर नहीं किया जाकर अपीलांट की भूमि पर किया जा रहा है। उतरदाता को अपीलांट की खातेदारी भूमि पर जबरन निर्माण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर राजस्व नक्शे की तरमीम सही नहीं होना मानते हुए अपीलांट के वैध कब्जे को अतिक्रमण बताकर अतिक्रमण को आधार मानते हुए अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं है, जो गलत है। अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपस्थित तथ्यों के विपरित हैं क्योंकि उतरदातागण द्वारा जबाव आवेदन में यह तथ्य वर्णित किया गया है कि उतरदातागण खसरा संख्या 23/88 की राजस्व रिकोर्ड में की गई तरमीन अनुसार कार्य कर रहे है। राजस्व नक्शे अनुसार खसरा संख्या 23/6 की भूमि पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य करवा रहे है एवं उतरदातागण के उक्त निर्माण से अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है जो काबिल निरस्त है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान के नाम से खसरा संख्या 23/88 रकबा 02.10 बीघा आंवटित भूमि है, जो मूल खसरा संख्या 23/8 रकबा 99.17 बीघा में से आवंटित करवायी हुई है। आवंटित भूमि का कब्जा सुर्पुद कर राजस्व रिकॉर्ड मे अलग से तरमीम कर अमल दरामद किया गया। ग्राम पंचायत अपनी तरमीम शुदा भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र है। उतरदाता द्वारा कभी भी अपनी तरमीम की सीमा से बाहर जाकर अपीलांट/प्रार्थी के खेत में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

की गई है और न ही किसी अन्य से करवाई गयी है। अपीलांट अपनी तरमीम शुदा रकबा का बिना पैमाईश कराये नाजायज फायदा उठाने की नियत से अपने रकबे से अधिक भूमि पर काबिज होना चाहा रहा है। वादग्रस्त आराजी शहर के नजदीक व सड़क पर होने से वर्तमान में जमीनों की किमतों बढतोरी होने से अपीलांट/प्रार्थी अपने रकबे की तरमीम से बाहर जाकर रेस्पोडेंट के कब्जा शुदा भूमि पर अवैध कब्जा करने की फिराक मे है, जो अपीलांट का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मौका रिपोर्ट में उतरदाता को आवंटित भूमि में अवैध कब्जा होना पाया गया। अपीलांट स्वच्छ हाथों से एवं सद्भाविक रूप से न्यायालय में नहीं आया है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राज पैरोकार रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी की पैमाईश भूमिधारी तहसीलदार सिणधरी के द्वारा एक टीम गठित करते हुए, कमेटी द्वारा करवाई गई। उक्त कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट/प्रार्थी का उतरदाता संख्या 01 की आवंटित शुदा भूमि मे अवैध कब्जा होना पाया गया। अपीलांट प्रस्तुत वादपत्र के जरिये राजकीय भूमि हड़पने की फिराक में है। अपीलाधीन निर्णय विधि की मंशा अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया। इसमें भी पूर्व की एक मौका रिपोर्ट दिनांक 17.01.2017 के हवाले से अपीलांट/प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी पाया दिया गया है। उसका अवैध कब्जा ग्राम पंचायत की भूमि पर पाया।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत तहसीलदार सिणधरी की उपर्युक्त रिपोर्ट मय नक्शा, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है, के आधार पर भी अपीलांट का अवैध कब्जा ग्राम पंचायत का आवंटित/पर्यटन विभाग की आरक्षित भूमि में पाया गया है जिससे वह बेदखली के लिए उतरदायी है। रिकॉर्ड पर अपीलांट से एक शपथ–पत्र भी इस आशय का लिया गया है कि यदि उसका अवैध कब्जा पाया जाता है तो वह तुरंत हटाये के लिए उतरदायी एवं पाबंद रहेगा।

तहसीलदार सिणधरी की उपरोक्त रिपोर्ट में दर्शित अपीलांट की अवैध कब्जा वाली भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलांट का कब्जा होने से उसके विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

धारा 91 के तहत मामला दर्ज होना प्रतिवेदित है। तहसीलदार सिणधरी उस पर तुरंत विधि सम्मत निर्णय कर कार्यवाही करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर **अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई विधिक हक नहीं है इसलिए मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु स्पष्टत अपीलांट के पक्ष में नहीं है। वह अतिक्रमी है इसलिए बेदखली के लिए उतरदायी है।** उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 148/2016 बअनवान कालुराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सणिधरी चारणान वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

17/7/19
(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner